सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 460/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 26 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना पवई

मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 24.10.2020 को वादी अजय नारायन उपाध्याय पुत्र स्व0 रामकेवल उपाध्याय निवासी ग्राम दत्तापुर थाना पवई, आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरे पटीदार राजनरायन उपध्याय पुत्र स्व0 रामबहाल उपाध्याय और प्रदीप, संदीप, राजन पुत्रगण राजनरायन उपाध्याय दिनांक 24.10.2020 को दिन में लगभग 11.30 बजे अपने हाथ में लाठी, डन्डा, असलहा, ईंट लेकर मेरे घर को घेरकर मुझे व बच्चों सोरभ, गौरव पुत्रगण अजय नरायन, भतीजा अभिनव पुत्र विजय नरायन व भाभी को मारकर घायल कर दिये व औरतों को गन्दी गाली गुप्ता देते हुए गन्दी नियत से कपड़े फाड़ दिये और असलहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते रहे। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/20 धारा 323,504,506,354 (ख) भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन व थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की मु0अ0सं0 167/20 धारा 323,504,506,354 (ख) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण मिल्कीपुर बाजार मे कही जाने के लिये सवारी का इन्तजार कर रहे है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराहियान मय मुखबिर के प्रस्थान कर मिल्कीपुर बाजार मे पहुचे तो मुखबिर खास तिराहे पर पान की गोमती के पास खडे दोनो को बताया कि वही दोनो राजनरायन उपाध्यय व प्रदीप कुमार है यह बताकर मुखबीर खास मौके से हट बढ गया कि पुलिस वाले अचानक पान के गोमती के पास खडे व्यक्तियो के पास पहुचे तो तिराहे पर खडे दोनो व्यक्ति पुलिस वालो को देखकर भागने का प्रयास किया कि दोनों व्यक्तियो को घेर कर पकड लिया। जिनसे नाम पता पूछा गया तो दोनो व्यक्तियो ने अपना नाम क्रमशः 1.राजनरायन उपाध्याय पुत्र स्व0 रामबहाल उपाध्याय 2.प्रदीप कुमार पुत्र राजनरायन निवासीगण दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ बताये कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 167/20 धारा 323,504,506,354 (ख) भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.राजनरायन उपाध्याय पुत्र स्व0 रामबहाल उपाध्याय निवासी दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ

2.प्रदीप कुमार पुत्र राजनरायन निवासी दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह
2. का0 अविनाश प्रसाद
3. का0 अमन पटेल

थाना सरायमीर

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तार व बरामदगी के क्रम में आज दिनांक 26.10.2020 को बस्ती नहर पुलिया के पास मु0अ0सं0 169/20 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त सज्जू पुत्र सोचन कुरैशी निवासी मीरहसन कस्बा थाना सरायमीर आजमगढ़ को समय करीब 11.45 बजे एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 199/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सज्जू पुत्र सोचन कुरैशी निवासी मीरहसन कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 199/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्टथाना सरायमीर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 169/20 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट।
2. मु0अ0सं0 91/20 धारा3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम।
3. मु0अ0सं0 96/19 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट।
4. वर्ष 2019 में गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विपिन कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ।
2. का0 नीरज यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. का0 अश्वनी यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
4. का0 हिमांसु सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़।